न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 272/2023

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1. रावलसिंह पुत्र राणीदानसिंह 2. मोरकंवर पत्नी राणीदानसिंह (जाति राजपूत, निवासी ग्राम बीरमसर (देडा) तह0 सेखाला जिला जोधपुर)		1. तहसीलदार सेखाला (जोधपुर) 2. उपखण्ड अधिकारी बालेसर, जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी बालेसर प्र0सं0 /2021, आदेश कमांक 3154 दिनांक 24.12.21

उपस्थिति –
1. श्री रूघाराम चौधरी, वकील अपीलांट
2. श्री नवलसिंह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से

निर्णय

दिनांक 30/05/2024

प्रस्तुत अपील प्रकरण के तथ्य मुख्यतः इस प्रकार से है कि उपखण्ड अधिकारी बालेसर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.12.2021 के द्वारा तहसीलदार सेखाला के पत्र कमांक 949 दिनांक 24.12.2021 द्वारा प्रस्तावित राजस्व ग्राम वीरमसर के उल्लेखित खसरान की भूमि में रास्ते में उपयोग हो रही उल्लेखित हैक्टर भूमि की किस्म गै0मु0 रास्ता परिवर्तित करने एवं नक्शा (लटठा) ट्रेस में दुरस्ती एवं राजस्व रेकर्ड में विद्यमान कदीमी रास्ते के रूप में दर्ज करने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु अवधि गणनार्थ अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। जो न्यायहित में स्वीकार कर अपील का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी। दौरान सुनवाई वकील अपीलांट ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया गया कि अपीलाधीन आदेश में अपीलांट के खसरा नम्बर 642 की भूमि में से 2.03 बीघा भूमि को गै0मु0 रास्ता घोषित किया गया है। प्रकरण में अपीलांट को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया और न ही किसी पडौसी खातेदारान द्वारा रार्स्ता की मांग की गई। मौके पर रास्ता

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

विद्यमान नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के ख0नं0 642 के माठ के सहारे रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित किया गया है, जबकि उक्त खसरान के कणा पर सरकारी कटाणी है। उक्त आदेश राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र दिनांक 10.8.16 के तहत पारित किया गया है, जो इस प्रकरण में लागु नही होता है। राज0 काश्तकारी अधि0 में रास्ते के लिए प्रावधान उपलब्ध है। अतः अपील स्वीकार अपीलाधीन आदेश अपास्त करने का आग्रह किया गया।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह किया कि प्रकरण में तहसीलदार सेखाला ने राज्य सरकार द्वारा रास्ते संबंधित समस्याओं का निराकरण अभियान 2016 के अनुसरण में ग्राम वीरमसर में मौके पर चालू कदीमी रास्ते का राजस्व रेकर्ड में अंकन करने का प्रस्ताव भिजवाया गया। मौका फर्द दिनांक 14.11.21 के अनुसार मौका अवलोकन रूबरू मौतबिरान किया गया। जिसे मौके पर उपस्थित मौतबिरान ने सही एवं सत्य होना स्वीकार किया गया। तथापि प्रकट तथ्यों के आधार पर विधिसम्मतः निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। जिसके अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त कार्यवाही तहसीलदार सेखाला से प्राप्त प्रस्ताव कर की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित खातेदारों को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर नही दिया जाना पाया गया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.12.21 को अपीलांट के ख0नं0 642 की रकबा भूमि तक निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट एवं सभी संबंधित खातेदारों को नोटिस जारी कर उनकी उपस्थिति में मौका निरीक्षण एवं मौका फर्द तैयार करवाकर, यदि मौके पर रास्ता चालू है तो उसे बंद किये बिना, उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 30 मई, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

30.05.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर